

कर-राजस्व
निगम कर

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

(क) साधारण संग्रहण	19263.00	23305.00	34332.00
(ख) अग्रिम कर संग्रहण	29205.00	37363.00	49889.00
(ग) अधिभार	1700.00	1940.00	2148.00
(घ) शिक्षा अधिभार	...	...	1590.00
(ङ) विविध प्राप्तियां	1331.00	378.00	477.00
जोड़	51499.00	62986.00	88436.00

निगम-कर से भिन्न आय पर कर

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

(क) साधारण संग्रहण	16741.00	18121.00	22939.00
(ख) अग्रिम कर संग्रहण	24619.00	18875.00	23365.00
(ग) अधिभार	1100.00	1260.00	1390.00
(घ) शिक्षा अधिभार	...	...	920.00
(ङ) विविध प्राप्तियां	1610.00	2013.00	2315.00
जोड़	44070.00	40269.00	50929.00

धन कर

उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा दिनांक 1.4.1993 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1993-94 से कतिपय निर्दिष्ट परिसंपत्तियों को छोड़कर सभी परिसंपत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया था। शेयरों, बैंक में जमा राशियों, सावधि जमा राशियों, बॉण्डों और ऋण-पत्रों आदि जैसी परिसंपत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया था और यह केवल रिहायशी गृहों, फार्म हाऊस, शहरी भूमि, जेवरात, सोना-चांदी, मोटर कार, हवाई जहाज, नौकाओं, पोत आदि जैसी अनुत्पादक परिसंपत्तियों के संबंध में ही लगाया जाता है। धनकर उस राशि, जिससे निवल धन पंद्रह लाख रुपए से अधिक हो जाती है, के 1% की दर पर प्रमार्य है।

वित्त अधिनियम 2003 में 1957 के अधिनियम 27 की धारा 17 में, धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 17 में, उप-धारा (1) में कुछ संशोधन किए गए हैं जिनमें पहली अप्रैल, 1989 से शब्द "तीस दिन से कम नहीं होते हुए" को हटाया हुआ माना जाएगा।

धन-कर के संबंध में संशोधित अनुमान 2003-2004 में 145 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2004-2005 में 145 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

सीमा शुल्क

संशोधित अनुमान 2003-2004 के लिए सीमा शुल्क राजस्व 49,350 करोड़ रुपए होने का अनुमान है तथा बजट अनुमान 2004-2005 के लिए 54250 करोड़ रुपए है। अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2003-2004	संशोधित 2003-2004	बजट 2004-2005
(i) आयात शुल्क	48383.00	48857.00	53715.00
(क) बुनियादी शुल्क	27343.00	28034.00	33206.00
(ख) अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)	16921.00	16368.00	19386.00
(ग) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी)	3757.00	4083.00	...
(घ) मोटर स्प्रीट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	...	2.00	2.00
(ङ) हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	2.00	6.00	6.00
(च) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	360.00	364.00	365.00
(छ) शिक्षा अधिभार	...	...	750.00
(ii) निर्यात शुल्क	5.00	...	...
(iii) निर्यात पर उपकर	163.00	163.00	180.00
(iv) अन्य प्राप्ति	799.00	330.00	355.00
जोड़	49350.00	49350.00	54250.00

सीमा-शुल्क के विभिन्न घटकों के ब्यौरे इस प्रकार है:

(i) **आयात शुल्क :-** 48383 करोड़ रुपए के मूल अनुमान की तुलना में, 2003-2004 का संशोधित अनुमान 48857 करोड़ रुपए आंका गया है। वर्ष 2004-2005 के लिए बजट अनुमान 53,715 करोड़ रुपए रखा गया है।

(क) **बुनियादी शुल्क :** वर्ष 2003-2004 के दौरान बुनियादी सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 28034 करोड़ रुपए है। वर्ष 2004-2005 के लिए बजट अनुमान 33,206.00 करोड़ रुपए रखा गया है।

(ख) **अतिरिक्त सीमा शुल्क :** वर्ष 2003-2004 के दौरान अतिरिक्त सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 16368 करोड़ रुपए होना संभावित है। वर्ष 2004-2005 के लिए बजट अनुमान में यह राशि 19,386 करोड़ रुपए रखी गई है।

(ग) **विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क :** वर्ष 2003-2004 के दौरान विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 4083 करोड़ रुपए होना संभावित है। 2004-05 के बजट अनुमान में शून्य प्राप्ति अनुमानित है।

(च) **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 2003-2004 के मूल बजट अनुमान में 360 करोड़ रुपए के एवज में 364 करोड़ रुपए के प्रत्याशित राजस्व संग्रहण की संभावना है। वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान में 365 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

(छ) **शिक्षा अधिभार :** नए शुल्क "शिक्षा अधिभार" के मद में वर्ष 2004-05 के लिए बजट अनुमान 750 करोड़ रुपए रखा गया है।

(ii) **निर्यात शुल्क :-** वर्ष 2003-2004 में निर्यात शुल्कों से प्रत्याशित राजस्व संग्रहण 5 करोड़ रुपए के मूल बजट अनुमानों की तुलना में शून्य रखा गया है। 2004-05 के लिए बजट अनुमान शून्य रखा गया है।

(iii) **निर्यात पर उपकर :** वर्ष 2003-2004 के संशोधित अनुमान और 2004-2005 के बजट अनुमान में यह क्रमशः 163 करोड़ रुपए और 180 करोड़ रुपए रखा गया है।

(iv) **अन्य प्राप्ति :-** वर्ष 2003-2004 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान में संग्रहण की राशि क्रमशः 330 करोड़ रुपए और 355 करोड़ रुपए रखी गई है।

संघ उत्पाद शुल्क

संघ उत्पाद शुल्क तथा उपकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। 2003-2004 के दौरान 92379 करोड़ रु. की प्राप्ति होने का अनुमान है जबकि मूल बजट अनुमानों में 96791 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जो 4412 करोड़ रुपए की कमी दर्शाता है। 2004-2005 में 109199 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है। निम्नलिखित सारणी में उत्पाद-शुल्क राजस्व का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है :-

उत्पाद शुल्क			
1. (क) बुनियादी और विशेष			
उत्पाद शुल्क (ख) और (ग) को छोड़कर	69625.00	67271.00	80526.00
(ख) मोटर स्प्रीट पर उपकर	1641.00	1592.00	1648.00
(ग) हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क	6750.00	6374.00	6634.00
जोड़	78016.00	75237.00	88808.00

(करोड़ रुपए)

	बजट 2003-2004	संशोधित 2003-2004	बजट 2004-2005
2. वस्त्रों और वस्त्र वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	571.00	372.00	451.00
3. बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	3202.00	2561.00	3106.00
4. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	1496.00	1608.00	1769.00
5. पेट्रोल पर अधिभार	6846.00	6368.00	6592.00
6. अधिभार/अन्य शुल्क			
(क) चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	70.00	75.00	80.00
(ख) शिक्षा अधिभार	...	...	1500.00
(ग) राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित अन्य अधिभार	6195.00	5629.00	6194.00
(घ) अन्य विभागों द्वारा प्रशासित अधिभार	395.00	529.00	699.00
जोड़ (क+ख+ग+घ)	6660.00	6233.00	8473.00
जोड़ (1+2+3+4+5+6)	96791.00	92379.00	109199.00

(i) बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क (जिसमें मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है) के 69625 करोड़ रुपए के मूल अनुमान की तुलना में 2003-2004 के लिए 67271 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान रखा गया है। 2004-2005 के लिए बजट अनुमान 80526 करोड़ रुपए रखा गया है।

(ii) सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों पर लगाए गए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क नामक लेवी के कारण 2003-2004 के लिए संशोधित अनुमान 1608 करोड़ रुपए रखा गया है जबकि मूल बजट अनुमान 1496 करोड़ रुपए था। वर्ष 2004-2005 के लिए बजट अनुमान 1769 करोड़ रुपए रखा गया है।

(iii) पेट्रोल पर लगाए गए अधिभार के कारण वर्ष 2003-2004 के लिए संशोधित अनुमान 6368 करोड़ रुपए रखा गया है जबकि मूल बजट अनुमान 6846 करोड़ रुपए था। वर्ष 2004-2005 के लिए बजट अनुमान 6592 करोड़ रुपए रखा गया है।

(iv) "चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क" की लेवी के कारण वर्ष 2003-2004 के लिए मूल बजट अनुमान में 70 करोड़ रुपए की तुलना में संशोधित अनुमान में 75 करोड़ रुपए रखा गया है। बजट अनुमान 2004-05 में इसे 80 करोड़ रुपए रखा गया है।

(v) नई लेवी "शिक्षा अधिभार" के मद में 2004-05 के बजट अनुमान में 1500 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

सेवा कर

8000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2003-2004 का संशोधित अनुमान 8300 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2004-2005 का बजट अनुमान 14,150 करोड़ रुपए है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1	टेलीफोन	3199.00	3024.00	3518.00
2	बीमा	1018.00	1044.00	1278.00
3	दलाली	440.00	378.00	307.00
4	विज्ञापन	342.00	267.00	277.00
5	कूरियर	201.00	193.00	280.00
6	हवाई यात्रा एजेंट सेवा	84.00	88.00	107.00
7	क्लियरिंग और फारवर्डिंग एजेंट सेवा	98.00	118.00	143.00
8	परामर्शी इंजीनियर	193.00	291.00	345.00
9	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	114.00	206.00	140.00
10	सुरक्षा/गुप्तचर एजेंसी सेवा	90.00	119.00	147.00
11	प्रबंध परामर्श सेवा	100.00	184.00	151.00
12	सूचना और डाटाबेस अभिगम्यता सेवाएं	66.00	63.00	84.00
13	प्रसारण सेवा	154.00	114.00	219.00
14	बीमा सहायक सेवा	195.00	219.00	335.00
15	बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाएं	253.00	390.00	377.00
16	पत्तन सेवा	345.00	398.00	441.00
17	प्राधिकृत सेवा केंद्र सेवाएं	72.00	81.00	97.00
18	अन्य मौजूदा सेवाएं	1036.00	1123.00	1764.00
19	नई सेवाएं	...	...	3990.00
20	शिक्षा अधिभार	...	...	150.00
	जोड़	8000.00	8300.00	14150.00

संघ राज्य क्षेत्रों के कर

ये प्राप्तियां विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं। विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

भू-राजस्व	1.92	1.87	1.92
स्टाम्प और पंजीकरण	24.82	33.82	33.92
राज्य उत्पाद शुल्क	106.51	106.66	115.01
बिक्री कर	385.00	409.00	430.00
वाहनों पर कर	23.42	26.50	27.12
सामान और यात्रियों पर कर	4.55	4.55	4.65
बिजली पर कर और शुल्क	7.50	7.50	7.50
अन्य कर और शुल्क	3.48	3.79	3.90
जोड़	557.20	593.69	624.02

अन्य कर और शुल्क

ब्यौरा निम्न प्रकार है

(i)	विदेश यात्रा कर	330.00	222.00	...
(ii)	अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर	785.00	678.00	...
	जोड़	1115.00	900.00	...

(i) **विदेश यात्रा कर** वित्त अधिनियम, 1971 के जरिए 15 अक्टूबर, 1971 से विदेश यात्रा पर कर लगाना प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में इस योजना में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री पर 500/- रु. की दर पर कर लगाने की व्यवस्था है। पड़ोसी देशों को की गयी यात्रा के लिए कर की दर 150/- रु. है। वापसी राशि को घटाकर संग्रहित राशि का एक तिहाई प्रतिशत संग्रहण प्रभागों के रूप में वाहक को अदा किया जाता है जिसके लिए व्यय बजट में व्यवस्था की गयी है। यह विदेश यात्रा कर 9 जनवरी, 2004 से समाप्त कर दिया गया है।

(ii) **अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर:** वित्त अधिनियम, 1989 के जरिए अन्तर्देशीय हवाई यात्रा पर कर लगाना प्रारम्भ किया गया। यह कर किराए के 15 प्रतिशत की दर पर प्रभारित होता है और विमान द्वारा देश के भीतर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों द्वारा देय होता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप द्वीप समूह मार्ग पर की गयी यात्राओं को इस कर से छूट प्राप्त है। संग्रहण प्रभागों के रूप में वाहक को संग्रहण राशि के 5 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। यह अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर 9 जनवरी, 2004 से समाप्त कर दिया गया है।